Title: Regarding refund of money invested in the Sahara Group Industries-Laid.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): बड़ी संख्या में निवेशको को अपना जमा धन परिपक्वता अवधि के बाद भी सहारा इण्डिया से नही मिल रहा है। निवेशको ने पैसा सहारा इण्डिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन लि.,सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जमा कराया था, सेबी के माध्यम से यह पैसा वापस निवेशको लौटाना था परन्तु सहारा ग्रुप ने इन कम्पनियो मे जमा पैसा कागजो में जमाकर्ताओ को लौटाते हुये सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी,सहारा मल्टी परपज सोसायटी एवं सहारा क्यू शॉप में जमा कर लिया। उपरोक्त कारण से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण सहारा ग्रुप ने जो 24 हजार करोड़ रूपये सेबी में जमा कराये परन्तु सेबी के माध्यम से नाम मात्र का ही भुगतान हो पाया। सेबी और वित्त मंत्रालय के अनुसार निवेशको का पैसा कॉपरेटिव सोसायटियो मे जमा है इसलिए सहकारिता मंत्रालय का मामला है। सहारा ग्रुप ने निवेशको का जो पैसा कागजो में लौटाते हुये कॉपरेटिव सोसायटियो में जमा किया है उसका भी भुगतान परिपक्वता पर नही कर रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पैसा सेबी में जमा है तथा निवेशको का पैसा सोसायटी में बाकी है अतः दोनो मंत्रालय मिलकर कोई रास्ता निकाले ताकि लाखो निवेशको का भुगतान हो सके।